प्रेषक,

मिशन निदेशक,
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन,
राजकीय आई0टी0आई0 परिसर,
अलीगंज, लखनऊ–226024

सेवा में,

समस्त प्रशिक्षण प्रदाता
(राजकीय / निजी / फ्लेक्सी)
उ0प्र0 कौशल विकास मिशन,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– 698 / UPSDM / 2018-19 / IT-MIS / AEBAS / 1076 दिनांक– 07 जुलाई, 2021

विषय–उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रेषित पत्र संख्या–1211 / UPSDM / 2018-19 / IT-MIS / AEBAS / 1076 दिनांक–22 मार्च, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया था कि उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण कराये जाने का निर्णय लिये जाने के क्रम में Unique Identification Authority of India द्वारा आधार इनेबल्ड बायोमैट्रिक डिवाइस से सम्बन्धित विशिष्टियां क्रय किये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी थी।

यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा प्रोडेक्शन इन्वायरमेन्ट की मैपिंग करते हुए गो–लाईव की अनुमति प्रदान करने के उपरान्त श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रोडेक्शन इन्वायरमेन्ट को गो–लाइव कर दिया गया है।

तत्क्रम में श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त प्रशिक्षण प्रदाता (राजकीय / निजी / फ्लेक्सी) के पास उपलब्ध यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा अनुमोदित बायोमैट्रिक डिवाइस का एकीकरण आधार प्रमाणीकरण पोर्टल से करते हुए उसको संचालित करने पर संज्ञान में आया है कि वर्तमान में नीचे दी गयी तालिका में उल्लिखित डिवाइस के अतिरिक्त अन्य किसी डिवाइस से आधार प्रमाणीकरण का कार्य संचालित नहीं हो पा रहा है।

तालिका–

S.No.	Device Make	Device Model Number
1	Morpho	1300 E3
2	Morpho	1300 E2
3	Morpho	1300 E
4	Mantra	MFS100
5	Mantra	MFSTAB
6	Secureye	MC01A
7	Startek	FM220U
8	Secugen	EPI-1000

उक्त डिवाइस का क्रय प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा स्वयं किया जायेगा जबकि अपेक्षित सॉफ्टवेयर मेसर्स श्रीट्रान इण्डिया लि0 द्वारा Install किया जायेगा। मेसर्स श्रीट्रान इण्डिया लि0 द्वारा Android/Window Application उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण प्रदाता को Android Device (टैबलेट / मोबाइल) की व्यवस्था करनी होगी। इसके अतिरिक्त बायोमैट्रिक स्कैनर भी प्रशिक्षण केन्द्र पर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए निर्धारित मानकों में बायोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा निर्वहनीय है। अतः प्रशिक्षणार्थी के आधार प्रमाणीकरण हेतु प्रतिदिन की उपस्थिति के अंकन में होने वाले व्यय को प्रशिक्षण लागत में समायोजित किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोविड प्रोटोकॉल के क्रम में प्रशिक्षण सत्रों के प्रारम्भ होने पर आधार इनेबल्ड बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी, अन्यथा प्रशिक्षण सत्र के संचालन की अनुमन्यता प्रदान नहीं की जायेगी।

भवदीय,

7/7/21

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक

संख्या– / UPSDM / 2018-19 / IT-MIS / AEBAS / 1076 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, व्या0शि0 एवं कौशल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिला समन्वयक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, लखनऊ।
4. प्रबन्धक–आई0टी0 प्रकोष्ठ, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, मिशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक